निर्णय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भदेसर जिला चित्तौडगढ (राज)
पीठासीन अधिकारी–रजनी मीणा ,आर.ए.एस0

प्रकरण संख्या	किस्म मुकदमा	दायर दिनांक	GCMS NO.	निर्णय दिनांक
169/2024	वाद	09-07-2024	2024/611	21 -01-2026

:: अनवान ::

1. चिन्मय मेहता पुत्र अशोक कुमार मेहता जाति मेहता उम्र वयस्क निवासी नगर निगम सेवाश्रम रेलवे क्रांसिंग सेक्टर 3 गिर्वा उदयपुर (राज.)

.....वादी

बनाम

1. नारायण सिंह पिता सज्जनसिंह जाति राजपुत उम्र वयस्क निवासी मिन्नाणा तहसील भदेसर जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)
2. केसर कुंवर पुत्री सज्जनसिंह जाति राजपुत उम्र वयस्क निवासी मिन्नाणा तहसील भदेसर जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)
3. गट्टू कुंवर पुत्री सज्जनसिंह जाति राजपुत उम्र वयस्क निवासी मिन्नाणा तहसील भदेसर जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)
4. सरकार जरिये तहसीलदार भदेसर जिला चित्तौड़गढ़।

.....प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53, आर.टी.ए.
उपस्थिति– श्री उदयलाल गाडरी, वकील वादी
उपस्थिति– श्री नरेन्द्रसिंह पंवार, वकील प्रतिवादी

हस्तक्षगत प्रकरण के संक्षिप्त में इस प्रकार है कि वादी ने एक वाद पत्र अर्न्तगत आदेश 07 नियम 01, 02 जा0दी0 के तहत इस आश्य का वाद पत्र प्रस्तुत किया कि :–

1. यह कि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 3 की संयुक्त कब्जे काश्त की आराजीयात वाके मौजा मिन्नाणा प0ह0 गरदाना तहसील भदेसर की खाता संख्या 162 की आराजी नं0 807/757 रकवा 0.2852 हैक्टेयर भूमि स्थित है। साक्ष्य में नकल जमाबंदी पेश है।
2. यह कि वादग्रस्त आराजीयात वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के संयुक्त खातेदारी व कब्जे काश्त में चली आ रही है। वाके मौजा मिन्नाणा की खाता संख्या 162 में वादी का 5617/28520 हक हिस्सा, तथा प्रतिवादी का हक हिस्सा राजस्व रेकार्ड में दर्ज अनुसार

चला आ रहा है। वादी तथा प्रतिवादी 1 से 3 राजस्व रेकार्ड में दर्ज अपने हिस्से अनुसार मौके पर काबिज होकर, उपयोग उपभोग करते चले आ रहे हैं। वादी ने अपने हक हिससे की आराजीयात को काफी रूपया पैसा व खुन पसीने से मेहनत से खाद डालकर ऊपजाउ बनाया चूंकि वादग्रस्त आराजीयात संयुक्त खातेदारी में दर्ज होने की वजह से लगान को लेकर व रकबे की कमी पेशी को लेकर, तथा वादी को अपने–अपने हक हिस्से की भूमि पर आने जाने के पहूंच मार्ग को प्रतिवादी आये दिन अवरूद्ध कर देते है जिस कारण आये दिन वादी व प्रतिवादीगण के मध्य विवाद होता रहता है। इसलिए वादी ने प्रतिवादीगणों को वादग्रस्त आराजीया का राजस्व रेकार्ड में दर्ज हक हिससे अनुसार मौके पर काबिज अनुसार, बटवाडा बाय मिट्स एंड बाउण्ड्स कराने तथा आवागमन हेतु पहूंच मार्ग कायम रखने हेतु प्रतिवादीगण को कहा तो प्रतिवादीगण टाल चाल कर रहे हैं, तथा बटवाडा कराने से इंकार हो गये हैं। इसलिए वादग्रसत आराजीयात का मौके पर काबिज अनुसार बटवारा बाय मिट्स एंड बाउण्ड्स किया जाकर वाके मौजा मिन्ना की खाता संख्या 162 में वादी का 5617/28520 हक हिस्सा, अलग कराने के वादी अधिकारी हैं, तथा वादी के हक हिस्से की आराजीयात पर आने जाने हेतु पहूंच मार्ग भी ाकयम कराने का अधिकारी हैं, तथा प्रतिवादीगण का राजस्व रेकार्ड में दर्ज हक हिस्से अनुसार शामलाती रखाने के वादी अधीकारी हैं।

3. यह कि वाद कारण दिनांक 18/06/2024 को जब वादी ने प्रतिवादीगण को वादग्रसत आराजीयात का बटवारा राजस्व रेकार्ड में दर्ज अनुसार व मौके पर काबिज अनुसार बटवाडा करा अलग खातेदारी में र्ज कराने हेतु प्रतिवादीगण को कहा, तो प्रतिवादीगण टाल चाल कर रहे हैं और वादग्रस्त भूमि का बटवाडा कराने से इंकार हो गये हैं व समझाने बुझाने पर भी प्रतिवादीगण नहीं मान रहे हैं जिससे हर रोज उत्पन्न होकर यह दावा अंदर अवधी पेश हैं।

4. यह कि वादी का वाद विरूद्ध प्रतिवादी निम्न प्रकार डिक्री फरमाया जावें–

   अ– यह कि वादग्रस्त आराजीयात का मौके पर काबिज अनुसार, बाय मिट्स एण्ड बाउण्ड्स बटवारा किया जाकर, वाके मौके मौजा मिन्नाणा की खाता संख्या 162 में वादीका 5617/28520 हक हिससे अनुसार मौके पर काबिज अनुसार वादग्रस्त आराजीयात में वादी का हक हिस्सा अलग खातेदारी में दर्ज किया जावे, तथा लगान की फाटनी की जावें एवं इसी अनुसार कागजात पटवार में अलग खातेदारी में दर्ज किया जावे, तथा वादी के हक हिससे की भूमि पर आने–जाने हेतु पहुच मार्ग भी कायम रखा जावें, तथा प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 का हक हिससा बदस्तुर शामलाती रखा जावे।

   ब– यह कि अन्य कोई सहायता न्यायालय वादी के हित में न्यायोचित समझे व प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 से दिलाई जावें।

प्रकरण वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तामिल तलब किया गया। बरोज पेशी प्रतिवादी संख्या 1 से 3 की ओर अधिवक्ता श्री नरेन्द्र सिंह पंवार ने उपस्थित दर्ज कराई जाकर जवाब का अवसर चाहा गया जो दिया गया। अपने जवाब में वकील प्रतिवादी संख्या 1 से 3 की ओर से जवाबदावा प्रस्तुत किया गया जिसमें वाद वर्णित तथ्यों को स्वीकार करते हुए वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के मध्य बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स बटवारा करने पर सहमति प्रदान की। प्रतिवादी संख्या 4 के प्रतिनिधि उपस्थित होकर फॉर्मल पक्षकार होने से जवाब की आवश्यकता नहीं है।

प्रकरण में दौरान ए बहस वकील उभयपक्ष ने बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स विभाजन किये जाने पर सहमति प्रदान की गई। तत्पश्चात् वकील वादी की बहस पर दिनांक 27.10.2025 को प्रारम्भिक निर्णय व पर्चा डिकी जारी किया गया। जिस पर भू–धारक तहसीलदार भदेसर द्वारा अपने पत्र क्रमांक :राजस्व/2025/790 दिनांक 02.12.2025 द्वारा विभाजन प्रस्ताव/कुर्रेजात रिपोर्ट प्रस्तुत किया। प्रकरण में वकील वादी की बहस सुनी गई। उक्त कुर्रेजात रिपोर्ट पर वकील वादी द्वारा सहमति प्रदान की गई। तहसीलदार भदेसर द्वारा अपने क्रमांक :राजस्व/2025/790 दिनांक 02.12.2025 द्वारा राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मंडल) नियम–1955 के नियम–18 लगायत 21 के अनुसार मौका कुर्रेजात रिपोर्ट को तैयार करने की प्रक्रिया का विवरण निम्न प्रकार है:–

प्रक्रिया हेतु प्रावधान	अपनायी गई प्रक्रिया
21. Preparation of map and demarcation of sub-divided fields. *- The Tehsildar shall prepare and place on record map showing in different colours the plots given to each party, and if any field has been sub-divided, he shall demarcate the portion at the expense of the parties.*	प्रकरण में दिनांक 25.11.2025 को तहसीलदार भदेसर द्वारा मय पटवारी/गिरदावर स्वयं मौका निरीक्षण किया जाकर मौका रिपॉर्ट तैयार की गई।
प्रकरण में पक्षकारो को मौका निरीक्षण हेतु जरिये नोटिस मौका निरीक्षण की दिनांक के बारे में पूर्वसूचित किया जाकर मौका रिपॉर्ट तैयार की गई।	प्रकरण में वादी एवं प्रतिवादीगण को मौका निरीक्षण हेतु कार्यालय तहसीलदार तहसील भदेसर के नोटिस क्रमांक 762 दिनांक 20.11.2025 द्वारा मौका निरीक्षण की दिनांक 25.11.2025 के बारे में पूर्वसूचित किया जाकर मौका रिपॉर्ट तैयार की गई।

1. प्रकरण में वादी द्वारा कुर्रेजात रिपोर्ट पर दी गई। सहमति एवं बहस पर मनन किया एवं संलग्न दस्तावेजात् जमाबंदी संवत् 2076 तथा कुर्रेजात रिपोर्ट का ध्यानपर्वूक अवलोकन किया। बाद अवलोकन पाया गया कि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 01 से लगाकर 03 के संयुक्त खातेदारी की कृषि आराजीयात ग्राम मिन्नाणा पटवार हल्का गरदाना, भू0अभि0नि0 खोडिप तह0 भदेसर की खाता संख्या 162 पर दर्ज आराजी नम्बर 807/757 रकबा 0.2852 हैक्टेयर, संयुक्त खातेदार है। उक्त वर्णित संयुक्त आराजी वादी एवं प्रतिवादीगण की शामलाती कब्जे काश्त खातेदारी की

आराजी है। जिस संयुक्त आराजी में वादी तथा प्रतिवादीगण का हिस्सा दर्ज रिकॉर्ड होना प्रमाणित होता है। उक्त विवादित आराजीयात अविभाजित है एवं राजस्व रिकॉर्ड में पक्षकारान के मध्य विधिक तकसमा कायम नहीं हुआ है। वकील उभयपक्ष की कुर्रेजात रिपोर्ट पर सहमति को ध्यान में रखते हुए पक्षकारान के मध्य उक्त विवादित आराजीयात् का विधिक तकसमा किया जाना आवश्यक है अतः दावा वादी मुताबिक विभाजन–प्रस्ताव (कुर्रेजात रिपोर्ट) मय नक्शा– ट्रेस के अनुसार डिक्री किया जाना न्यायोचित है।

2. प्रकरण में पत्रावली के अवलोकन के अनुसार स्पष्ट है कि प्रकरण में वादी का प्रथम अनुतोष स्वीकार होने के पश्चात् मुतनाजा आराजी पर वादी का संयुक्त काश्तकार घोषित होने के आधार पर वादी की संयुक्त खातेदारी होना पूर्ण रूप से साबित होती है। अतः मुतनाजा आराजी पर मुताबिक हिस्सा वादी का संयुक्त स्वामित्व अविवादित है। प्रकरण में वादीगण व प्रतिवादीगण की आराजी का विभाजन किया जाना प्रस्तावित है। उक्त विभाजन के पश्चात वादी व प्रतिवादीगण का पृथक–पृथक खाता कायम किया जाना प्रस्तावित है। साथ ही हाल में संयुक्त आराजी का रिकॉर्ड में पृथक अंकन किया जाकर मौके पर उसी अनुसार कब्जा भी पृथक से सुपुर्द किया जाना प्रस्तावित है। इस प्रकार वादी व प्रतिवादीगण खाता विभाजन के पश्चात रिकॉर्ड में व मौके पर पृथक–पृथक रूप से अपनी खातेदारी आराजी पर खातेदारी अधिकारों का उपयोग–उपभोग बिना किसी बाधा के करने हेतु अधिकृत व स्वतंत्र है।

<u>आदेश है कि</u>

दावा वादी अन्तर्गत धारा–53, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 बाबत तकसीम आराजी स्वीकार किया जाता है ग्राम मिन्नाणा प0ह0 गरदाना तहसील भदेसर के खाता संख्या 162 पर दर्ज आराजी नम्बर 807/757 रकबा 0.2852 हैक्टेयर, ग्राम मिन्नाणा प0ह0 गरदाना तहसील भदेसर जिला चित्तौड़गढ़ मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट मय नक्शा–ट्रेस नीचे अंकित तालिकानुसार वाद दावा डिक्री किया जाता है। पक्षकारान के मध्य राजस्व रिकॉर्ड में रास्ता कायम करते हुए अलग–अलग खाता प्रविष्टिया दर्ज किये जाने के आदेश तहसीलदार भदेसर को दिये जाते हैं।

क्र. स.	नाम खातेदार	आराजी नम्बर	रकबा (हैक्टैयर में)	किस्म	लगान
1	चिन्मय मेहता पिता अशोक कुमार मेहता हिस्सा सा.देह खातेदार	807 / 757 / 1	0.0561	बीड–2	0.22
2	➢ केसर कुंवर पुत्री सज्जन सिंह जाति राजपूत हिस्सा 591 / 2291 सा.देह खातेदार ➢ गटुकुंवर पुत्री सज्जनसिंह राजपूत हिस्सा 591 / 2291 सा.देह खातेदार ➢ नारायण सिंह पुत्र सज्जनसिह राजपूत हिस्सा 1109 / 2291 सा. देह खातेदार	807 / 757 / 2	0.2291	बीड–2	0.92

नक्शा कुर्रेजात निर्णय का अनन्य भाग रहेगा। इसी अनुसार पृथक से पर्चा डिक्री तैयार की जाकर तहसीलदार भदेसर को पालनार्थ हेतु भिजवाई जावे। अहकाम जारी हो। पक्षकारान खर्चा अपना–अपना वहन करेगें।

यह निर्णय आज दिनांक 21 .01.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर कर एवं मुहर युक्त जारी किया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया।

(रजनी मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
भदेसर

मूल वाद में डिक्री
(व्य0प्र0सं0 के आदेश 20 के नियम 6 व 7)
न्यायालय–उपखण्ड अधिकारी, मुकाम–भदेसर जिला चित्तौडगढ (राज0)
बईजलास – रजनी मीणा , आर0ए0एस0,

:: अनवान ::

1. चिन्मय मेहता पुत्र अशोक कुमार मेहता जाति मेहता उम्र वयस्क निवासी नगर निगम सेवाश्रम रेलवे क्रांसिंग सेक्टर 3 गिर्वा उदयपुर (राज.)

.....वादी

बनाम

1. नारायण सिंह पिता सज्जनसिंह जाति राजपुत उम्र वयस्क निवासी मिन्नाणा तहसील भदेसर जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)
2. केसर कुंवर पुत्री सज्जनसिंह जाति राजपुत उम्र वयस्क निवासी मिन्नाणा तहसील भदेसर जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)
3. गट्टू कुंवर पुत्री सज्जनसिंह जाति राजपुत उम्र वयस्क निवासी मिन्नाणा तहसील भदेसर जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)
4. सरकार जरिये तहसीलदार भदेसर जिला चित्तौड़गढ़।

.....प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53, आर0टी0एक्ट 1955
प्रकरण सं0. 169 / 2024

–:पर्चा डिक्री:–

दावा वादी अन्तर्गत धारा–53, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 बाबत तकसीम आराजी स्वीकार किया जाता है ग्राम मिन्नाणा प0ह0 गरदाना तहसील भदेसर के खाता संख्या 162 पर दर्ज आराजी नम्बर 807/757 रकबा 0.2852 हैक्टेयर, ग्राम मिन्नाणा प0ह0 गरदाना तहसील भदेसर जिला चित्तौड़गढ़ मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट मय नक्शा–ट्रेस नीचे अंकित तालिकानुसार वाद दावा डिक्री किया जाता है। पक्षकारान के मध्य राजस्व रिकॉर्ड में रास्ता कायम करते हुए अलग–अलग खाता प्रविष्टिया दर्ज किये जाने के आदेश तहसीलदार भदेसर को दिये जाते हैं।

क्र. स.	नाम खातेदार	आराजी नम्बर	रकबा (हैक्टैयर में)	किस्म	लगान
1	चिन्मय मेहता पिता अशोक कुमार मेहता हिस्सा सा.देह खातेदार	807 / 757 / 1	0.0561	बीड–2	0.22
2	➢ केसर कुंवर पुत्री सज्जन सिंह जाति राजपूत हिस्सा 591 / 2291 सा.देह खातेदार ➢ गटुकुंवर पुत्री सज्जनसिंह राजपूत हिस्सा 591 / 2291 सा.देह खातेदार ➢ नारायण सिंह पुत्र सज्जनसिह राजपूत हिस्सा 1109 / 2291 सा. देह खातेदार	807 / 757 / 2	0.2291	बीड–2	0.92

उक्तानुसार पक्षकारान अपने–अपने हिस्से की खातेदारी आराजी को अपने नाम खातेदारी में पृथक–पृथक खाता दर्ज कराने के अधिकारी है वादी के उपरोक्त दर्ज पृथक खाता आराजी पर जबरन कब्जा व बेदखली न करे, ना ही किसी प्रकार के कब्जे काश्त में रूकावट व मजाहमत पैदा करें तथा शक्ल मौका आराजी ना बदले।

नक्शा कुर्रेजात निर्णय का अनन्य भाग रहेगा। अहकाम जारी हो। पक्षकारान खर्चा अपना–अपना वहन करेगें।

यह डिक्री आज दिनांक 21.01.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर कर एवं मुहर युक्त जारी किया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया।

(रजनी मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
भदेसर

मूल वाद में डिक्री
(व्य0प्र0सं0 के आदेश 20 के नियम 6 व 7)
न्यायालय–उपखण्ड अधिकारी, मुकाम–भदेसर जिला चित्तौडगढ (राज0)
बईजलास – रजनी मीणा , आर0ए0एस0,

:: अनवान ::

1. चिन्मय मेहता पुत्र अशोक कुमार मेहता जाति मेहता उम्र वयस्क निवासी नगर निगम सेवाश्रम रेलवे क्रांसिंग सेक्टर 3 गिर्वा उदयपुर (राज.)

.....वादी

बनाम

1. नारायण सिंह पिता सज्जनसिंह जाति राजपुत उम्र वयस्क निवासी मिन्नाणा तहसील भदेसर जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)
2. केसर कुंवर पुत्री सज्जनसिंह जाति राजपुत उम्र वयस्क निवासी मिन्नाणा तहसील भदेसर जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)
3. गट्टू कुंवर पुत्री सज्जनसिंह जाति राजपुत उम्र वयस्क निवासी मिन्नाणा तहसील भदेसर जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)
4. सरकार जरिये तहसीलदार भदेसर जिला चित्तौड़गढ़।

.....प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53, आर0टी0एक्ट 1955
प्रकरण सं0. 169 / 2024

–:पर्चा डिक्री:–

दावा वादी अन्तर्गत धारा–53, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 बाबत तकसीम आराजी स्वीकार किया जाता है ग्राम मिन्नाणा प0ह0 गरदाना तहसील भदेसर के खाता संख्या 162 पर दर्ज आराजी नम्बर 807/757 रकबा 0.2852 हैक्टेयर, ग्राम मिन्नाणा प0ह0 गरदाना तहसील भदेसर जिला चित्तौड़गढ़ मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट मय नक्शा–ट्रेस नीचे अंकित तालिकानुसार वाद दावा डिक्री किया जाता है। पक्षकारान के मध्य राजस्व रिकॉर्ड में रास्ता कायम करते हुए अलग–अलग खाता प्रविष्टिया दर्ज किये जाने के आदेश तहसीलदार भदेसर को दिये जाते हैं।

क्र. स.	नाम खातेदार	आराजी नम्बर	रकबा (हैक्टैयर में)	किस्म	लगान
1	चिन्मय मेहता पिता अशोक कुमार मेहता हिस्सा सा.देह खातेदार	807 / 757 / 1	0.0561	बीड–2	0.22
2	➢ केसर कुंवर पुत्री सज्जन सिंह जाति राजपूत हिस्सा 591 / 2291 सा.देह खातेदार ➢ गटुकुंवर पुत्री सज्जनसिंह राजपूत हिस्सा 591 / 2291 सा.देह खातेदार ➢ नारायण सिंह पुत्र सज्जनसिह राजपूत हिस्सा 1109 / 2291 सा. देह खातेदार	807 / 757 / 2	0.2291	बीड–2	0.92

उक्तानुसार पक्षकारान अपने–अपने हिस्से की खातेदारी आराजी को अपने नाम खातेदारी में पृथक–पृथक खाता दर्ज कराने के अधिकारी है वादी के उपरोक्त दर्ज पृथक खाता आराजी पर जबरन कब्जा व बेदखली न करे, ना ही किसी प्रकार के कब्जे काश्त में रूकावट व मजाहमत पैदा करें तथा शक्ल मौका आराजी ना बदले।

नक्शा कुर्रेजात निर्णय का अनन्य भाग रहेगा। अहकाम जारी हो। पक्षकारान खर्चा अपना–अपना वहन करेगें।

यह डिकी आज दिनांक 22.01.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर कर एवं मुहर युक्त जारी किया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया।

(रजनी मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
भदेसर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर अहका हुक्म में
21/01/2026	पत्रावली प्रस्तुत। आवेदक द्वारा पक्ष उपस्थित। वादी एवं प्रतिवादी का वाद पत्र विभाजन प्रस्ताव अनुसार स्वीकार किया जाता है। विभिन्न प्रस्ताव से संकलित किया जाकर संलग्न पत्रावली किया गया। तथा सुनाया गया। पत्रावली फैसला शुमार होकर नम्बर से कम हो। (हस्ताक्षर)	